न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०एस०टी०एक्ट), बागपत।

पीठासीन अधिकारी- शबिस्ताँ आकिल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP6283

UPBG010050012025

विविध सिविल अपील-30/2025

श्रीमती शान्ति देवी आयु करीब 72 वर्ष पत्नी स्व० रणवीर सिंह, निवासिनी ग्राम खटटा प्रहलादपुर, परगना, तहसील बागपत, जनपद बागपत।

..........अपीलार्थिनी/वादिनी।

बनाम

रामभूल आयु करीब 53 वर्ष पुत्र स्व० भगवत सिंह, निवासी ग्राम खटटा प्रहलादपुर, परगना, तहसील बागपत, जनपद बागपत।

......प्रत्यर्थी/प्रतिवादी।

निर्णय

1. यह विविध सिविल अपील, अपीलार्थिनी की ओर से विविध वाद संख्या 134/2024, श्रीमती शान्ति देवी बनाम रामभूल में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) प्रथम, बागपत द्वारा पारित आलोच्य आदेश/फार्मल आदेश दिनांकित 11.04.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रकीर्ण वाद को निरस्त किया गया है।

2. मेरे द्वारा पूर्व तिथि पर उभयपक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं कि वादिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 4 ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि उसका उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 10.05.2024 वास्ते सुनवाई नियत थी, परन्तु उक्त दिनांक को वह वृद्ध व बीमार महिला होने एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी तथा न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सकी थी, जिस कारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद उसकी अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था, जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा अपना नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र न्यायालय में योजित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया है कि वह काफी बीमार रहती है, जिस कारण उसको अपना नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र न्यायालय में योजित करने में थोड़ा विलम्ब हो गया था। उसने प्रार्थना पत्र नियत तिथि पर योजित करने में जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। उक्त आधार पर वादिनी को धारा 5 कानून मियाद का लाभ दिया जाकर उसका प्रार्थना पत्र नम्बर साबिक अन्दर मियाद माना जाकर स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. प्रत्यर्थी/विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति पत्र 15 ग प्रस्तुत कर मुख्यतः यह कथन किया है कि वादिनी के द्वारा योजित उक्त वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2024 को वादिनी तथा वादिनी के अधिवक्ता की गैर हाजिरी के कारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि वादिनी के द्वारा योजित उक्त वाद न्यायालय द्वारा पूर्व में कई बार निरस्त किया जा चुका है और वादिनी के द्वारा नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र के द्वारा पुर्नस्थापित भी हो चुका है, परन्तु वादिनी एवं वादिनी के अधिवक्ता जानबूझकर न्यायालय की नियत तिथियों पर गैर हाज़िर होते आये हैं, उनका गैर हाजिर होने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तथा वादिनी के द्वारा न्यायालय में उक्त वाद चलाने की भी कोई रूचि नहीं रही है। इसी कारण दिनांक 10.05.2024 को वादिनी के द्वारा योजित उक्त वाद न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादिनी का प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्तर्गत नहीं है और विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा देरी का कोई उचित व पर्याप्त कारण दर्शित

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.04.09 12:47:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं किया गया है। वादिनी ने न्यायालय की नियत तिथियों पर गैर हाजिर होने से सम्बन्धित अपनी बीमारी का उपचार हेतु कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी दाखिल नहीं किया है और न ही कोई प्रार्थना पत्र वादपत्र की मूल पत्रावली पर वादिनी के अधिवक्ता के द्वारा दाखिल किया गया है। उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र 4 ग निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 11.04.2025 पारित करते हुए वादिनी का प्रार्थनापत्र 4 ग 2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रर्कीण वाद निरस्त किया गया है।

6. जिसके विरूद्ध अपीलार्थिनी की ओर से अपील कागज संख्या 3 ग मय शपथपत्र प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलार्थिनी द्वारा कथन किया गया है कि परीक्षण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 11-04-2025 बिना किसी विधिक अधिकार के पारित किया गया है। वादिनी के वाद में दिनांक 10-05-2024 सुनवाई हेतु नियत थी परन्तु उक्त दिनांक को वादिनी जो वृद्ध व बीमार महिला होने के कारण व मानसिक तनाव में होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी और न अपने अधिवक्ता को सूचित कर सकी थी जिस कारण न्यायालय द्वारा वादिनी का वाद उसकी अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा अपना नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र योजित किया गया। वादिनी काफी बीमार रहती है जिस कारण उसको अपना नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र योजित करने में थोडा विलम्ब हो गया परन्तु उसके द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की गयी है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कथन अभिकथित करते हुए कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में 02 माह से अधिक के विलम्ब को प्रतिदिन का कारण दर्शित नहीं किया गया है और न ही अपनी बीमारी का कोई मैडिकल प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 4 ग खारिज करते हुए उसके साथ संलग्न नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र जो प्रर्कीण वाद के रूप में है, को भी निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो पायी तथा न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे पायी थी, का कथन किया गया है। अपीलार्थिनी को उक्त मूल वाद के निरस्त होने की जानकारी पूर्व अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06-08-2024 को हुई और उसने उसी दिन न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10-05-2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो उसको दिनांक 03-09-2024 को प्राप्त हुआ। उसने परीक्षण न्यायालय के समक्ष नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र देरी माफी प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 04-09-2024 को योजित कर दिया था लेकिन परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थिनी के किये गये कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का व वादिनी के कथन को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिनांकित 11-04-2025 पारित किया गया है। अतः अपीलार्थिनी की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11-04-2025 व उससे संबंधित फार्मल आर्डर को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से आपत्ति 24 ग प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अपीलार्थिनी/वादिनी के द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादिनी का उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था जिसमें न्यायालय के द्वारा नियत तिथि दिनाँक 10-5-2024 की तिथि वास्ते सुनवाई नियत की गयी थी, परन्तु वादिनी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में जानबूझकर हाजिर नही हुए, इसी कारण न्यायालय के द्वारा उक्त वाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया और वादिनी को मानसिक तनाव व वृद्ध महिला बीमार होने के कारण न्यायालय में गैर हाजिर होना बताया गया है। वादिनी के द्वारा उपचार का कोई भी मैडिकल सर्टिफिकेट भी पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है और न ही वादिनी के अधिवक्ता के द्वारा इससे सम्बन्धित कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया है। अपीलार्थिनी/वादिनी के द्वारा न्यायालय में अपने वाद का नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र भी काफी विलम्ब से दिया गया, परन्तु विलम्ब का कोई भी उचित कारण वादिनी के द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र के जरिये से नहीं बताया गया , इसी कारण

वादिनी का उक्त नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। वादीनी/अपीलार्थिनी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम व नम्बर साबिक का न्यायालय के द्वारा सही प्रकार से अवलोकन किया गया तथा वैधानिक तरीके से ही विधि के अनुरूप दिनांक 11-4-2025 को आदेश पारित किया गया। असल तथ्य यह है कि वादीनी/अपीलार्थिनी का मूलवाद संख्या 112/2019 श्रीमति शान्तिदेवी बनाम रामभूल अन्तर्गत विशिष्ठ अनुतोष दिनाँक 10-5-2024 को वादिनी/अपीलार्थिनी एवं उसके अधिवक्ता की घोर लापरवाही के कारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया था जो कि विधि के अनुसार न्यायोचित एवं न्याय संगत था , क्योंकि वादिनी/अपीलार्थिनी के द्वारा न्यायालय में बीमारी का कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र उसके अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली पर दाखिल पर नहीं किया गया था और न ही न्यायालय में उपस्थित न होने का कोई भी पर्याप्त कारण बताया गया। वादिनी/अपीलार्थिनी का उक्त वाद न्यायालय के द्वारा पूर्व में भी कई बार निरस्त किया जा चुका है और पुर्नस्थापित भी किया जा चुका है, क्योंकि वादिनी/अपीलार्थिनी के पास न्यायालय में उक्त वाद योजित करके वाद चलाने का कोई भी उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है, केवल और केवल न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करना तथा प्रतिवादी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाना रहा है। वादिनी/अपीलार्थिनी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में पीलिया रोग की बीमारी से सम्बन्धित पीडित होने का जो कथन किया है वह कतई असत्य है। वादिनी/अपीलार्थिनी ने अवर न्यायालय में अपनी बीमारी से सम्बन्धित कोई भी उपचार कराने की बात नहीं की है और ना ही कोई मैडिकल प्रमाण पत्र पत्रावली पर दाखिल किया है तथा अपना नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम दो माह से भी अधिक विलम्ब से न्यायालय में दाखिल किया जो कि न्यायालय ने कानूनन निरस्त कर दिया है क्योकि वादिनी/अपीलार्थिनी ने विलम्ब का कोई भी उचित व पर्याप्त कारण दर्शित नही किया गया है। अतः अपीलार्थिनी की अपील सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

8. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह सम्प्रेषण किया गया है कि विलम्ब का कारण प्रार्थिनी द्वारा वृद्ध महिला होने तथा मानसिक तनाव होने का लिया है परन्तु अपनी बीमारी के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। यह भी कथन किया है कि दो माह से अधिक के विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया है।

9. प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 4 ग 2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में यह कथन किया है कि नियत दिनांक को वह वृद्ध एवं बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर पायी थी। प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह काफी बीमार रहती है जिससे वह समय से नम्बर साबिक प्रार्थना पत्र योजित नहीं कर पायी। उक्त प्रार्थना पत्र के कथनों का समर्थन प्रार्थिनी /अपीलार्थिनी द्वारा अपने शपथपत्र के माध्यम से किया गया है।

10. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी शान्ति देवी की आयु लगभग 72 वर्ष दर्शायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एक वृद्ध महिला है। यह भी उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा स्वयं को बीमार बताया गया है। यदि उसके द्वारा कोई चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल भी न किया गया हो तो उसकी आयु के कारण उसका दुर्बल होना स्वाभाविक है। प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है। आयु के कारण उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक दिनांक पर अपने वाद की पैरवी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवश्यक भागदौड़ कर सके।

11. इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी पत्रावली पर हस्ताक्षर नहीं करती बल्कि अंगूठा लगाती है। जिससे स्पष्ट है कि वह एक अनपढ़ महिला है जो अपना हस्ताक्षर

करने में भी सक्षम नहीं है। एक अनपढ़ महिला से यह आशा नहीं की जा सकती कि उसे विधि का तकनीकी ज्ञान होगा।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में मैमो आफ पार्टीज में प्रार्थिनी /अपीलार्थिनी का नाम पत्नी स्व० श्री रणवीर सिंह दर्शाया गया है। जिससे विदित है कि प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एक विधवा एवं असहाय महिला है।

13. उपरोक्त सभी तथ्य अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय विचार में नहीं लिये गये। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी की गयी है और मशीनी ढंग से मस्तिष्क का प्रयोग कर आदेश पारित कर दिया गया है। अतः विद्वान परीक्षण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) प्रथम, बागपत द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 11.04.2025 स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विविध सिविल अपील संख्या 30/2025, श्रीमती शान्ति देवी बनाम रामभूल स्वीकार की जाती हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) प्रथम, बागपत द्वारा विविध वाद संख्या 134/2024, श्रीमती श्रीमती शान्ति देवी बनाम रामभूल में पारित आदेश दिनांकित 11.04.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अपील में दिये गये निष्कर्ष के प्रकाश में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तुत विविध सिविल अपील की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाँक : 09-04-2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**
अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँक : 09-04-2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**
अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।